

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 6 जून, 2022 ज्येष्ठ 16, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 335 / वि०स० / संसदीय / 56(सं)-2022 लखनऊ, 24 मई, 2022

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 24 मई, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 29 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 29 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्र0	सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
30		आई०आई०एल०एम० विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	राम कृष्ण एण्ड संस चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति 3—(1) राज्य सरकार, आई0 आई0 एल0 एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी किटनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अविध, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा:

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने का उपबन्ध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

ग्रेटर नोएडा में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् आई० आई० एल० एम० विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची—2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पुर:स्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय मंत्री, उच्च शिक्षा।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 337/XC-S-1-13-S-2022 Dated Lucknow, June 6, 2022

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 24, 2022.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

- Short title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2022.
- 2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter Amendment of referred to as the "principal Act") after serial no. 29, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 29 for the newly established University the following serial numbers shall be inserted, namely:-

Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
30.	IILM University, Greater Noida,	Ram Krishan and Sons Charitable
	Uttar Pradesh	Trust, New Delhi

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in Power to remove relation to the establishment of IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (Uttar Pradesh Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university at Greater Noida, namely IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

YOGENDRA UPADHYAY Mantri, Uccha Shiksha.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.